राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 7171/2024

ब्रिजेश राय पुत्र श्री सी.के. राय, उम्र-53 वर्ष, निवासी 07, 81/81, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, वर्तमान में नगर परिषद राजसमंद, राजसमंद (राज.) आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री चन्द्रशेखर कोटवानी
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री लक्ष्मण सोलंकी, पीपी.
		श्री आर.एस. चौधरी (शिकायतकर्ता के लिए)

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

11/07/2024

1. यह याचिकाकर्ता की ओर से पुलिस स्टेशन रोहट, जिला पाली में भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 384 और 409 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज एफआईआर संख्या 318/2022 के संबंध में अग्रिम जमानत याचिका है।

2. मैं वर्तमान याचिका के निपटान के लिए प्रासंगिक तथ्यों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं। मृतक हनुमान सिंह के पुत्र भरत सिंह ने 04.11.2022 को एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि उनके पिता पिछले 20-22 वर्षों से नगर परिषद, पाली और अन्य विभागों के लिए दो फर्मों, "सत्यम कंस्ट्रक्शन" और "हनुमान सिंह/मूल सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी" के नाम से ठेकेदारी का काम कर रहे थे। हनुमान सिंह ने नगर परिषद, पाली से कई कार्यों के लिए अनुबंध प्राप्त किए थे, जिनमें से कुछ पूरे हो गए थे और कुछ प्रगति पर थे। हनुमान सिंह पर नगर परिषद की ओर से इन कार्यों के लिए करीब ढाई करोड़ रुपए बकाया थे, जिसके लिए वह बार-बार नगर परिषद कार्यालय के चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसे भुगतान नहीं किया जा रहा था। हनुमान सिंह ने बैंक,

बाजार और अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए थे। भुगतान के लिए हनुमान सिंह बार-बार नगर परिषद की चेयरपर्सन रेखा भाटी, उनके पति राकेश भाटी, आयुक्त ब्रजेश राय और लेखा अनुभाग के नरेश चौधरी के पास जा रहा था। लेकिन, ये सभी लोग बकाया राशि के भुगतान के लिए अवैध रूप से 10 प्रतिशत एडवांस कमीशन मांग रहे थे। यह बात शिकायतकर्ता को उसके पिता ने बताई थी।

3. आगे बताया गया कि उधार ली गई राशि का भुगतान न कर पाने के कारण हनुमान सिंह की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही थी। नगर परिषद पाली के उपरोक्त अधिकारियों ने हनुमान सिंह से कहा कि चाहे उसे मरना पड़े, लेकिन कमीशन की राशि अवश्य चुकानी होगी। परिणामस्वरूप उसके पिता चुप रहने लगे, चिंतित और दुखी रहने लगे। हनुमान सिंह ने अपनी चिंता नरपत सिंह और बाबू सिंह को भी बताई। तंग आकर हनुमान सिंह ने 04.11.2022 को अपने घर के एक कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हनुमान सिंह की पतलून की जेब से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने आत्महत्या के लिए उपरोक्त व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर एक औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई और मामले की जांच की जा रही है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपनी दलीलें प्रस्तुत करते हुए जोरदार ढंग से कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी तरह से लंबित बिलों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। राज्य सरकार ने 14.02.2023 के आदेश में कहा है कि ठेकेदारों को बकाया राशि का भुगतान समय पर करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की है। उक्त आदेश के तहत राज्य सरकार ने नगर परिषद पाली की अध्यक्ष को कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने, पद का दुरूपयोग करने तथा ठेकेदारों को समय पर भुगतान न करने के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार माना है। आगे तर्क दिया गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष व उनके पति के विरुद्ध ही स्वीकृति जारी की गई है। राज्य सरकार के आदेश संख्या 36434 दिनांक 09.11.2017 के अनुसार नगर परिषद का सम्पूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण एवं अधिकार केवल अध्यक्ष में निहित है, अतः नगर परिषद की समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यवाही अध्यक्ष की पूर्वानुमति के पश्चात ही की जा सकेगी।

5. यह भी तर्क दिया गया है कि अधिसूचना दिनांक 23.02.2015 के अनुसार नगर परिषद आयुक्त को केवल 2,00,000/- रूपये की सीमा तक ही स्वतंत्र वित्तीय अधिकार प्राप्त है। यह भी तर्क दिया गया है कि उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार 2,00,000/- रूपये से अधिक राशि का कोई भी माल क्रय करने अथवा कोई भी

कार्य निष्पादित करने के लिए अनुबंध करना अध्यक्ष की पूर्व प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के बिना संभव नहीं था। ऐसे अनुबंध की राशि का भुगतान भी अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के बिना संभव नहीं था। 2,00,000/- रूपये से अधिक राशि के भुगतान को मंजूरी देने में आयुक्त की कोई भूमिका नहीं होती है, बल्कि अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के पश्चात ही लेखा अनुभाग द्वारा भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाती है। यह भी तर्क दिया गया है कि स्थानीय निकाय विभाग की आंतरिक जांच रिपोर्ट में भी यह नहीं पाया गया कि मृतक को भुगतान की प्रक्रिया आयुक्त के स्तर पर कभी रोकी गई थी। मृतक द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के समक्ष अवैध रिश्वत मांगने संबंधी कोई शिकायत नहीं की गई थी।

6. यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता पहले ही जांच में शामिल हो चुका है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है; याचिकाकर्ता पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का कोई आरोप नहीं है और आवेदक से कुछ भी बरामद नहीं किया जाना है; याचिकाकर्ता निर्दोष है और याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई मौजूदा एफआईआर झूठी और निराधार है; याचिकाकर्ता को झूठे मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है; यह दिखाने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 306 और 384 के तत्व कैसे बनते हैं। हनुमान सिंह की आत्महत्या में याचिकाकर्ता की कोई भूमिका नहीं थी। याचिकाकर्ता द्वारा उकसाने या भड़काने के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ विशेष रूप से कुछ भी आरोपित नहीं किया गया है। इसलिए, वह आग्रह करता है कि याचिकाकर्ता इस मामले में गिरफ्तारी पूर्व जमानत का हकदार है।

7. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान लोक अभियोजक ने शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की सहायता से आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर कड़ी आपत्ति जताई तथा प्रस्तुत किया कि मृतक हनुमान सिंह की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि आयुक्त ने अध्यक्ष रेखा भाटी, उनके पति राकेश भाटी तथा लेखा अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध रिश्वत की मांग पूरी न होने पर उसे मरने के लिए मजबूर किया तथा उसके लंबित बिलों का भुगतान न किए जाने पर उसने आत्महत्या कर ली। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध विशिष्ट आरोप हैं। मृतक ने एक विस्तृत सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसकी शिकायतों का पूरा विवरण तथा उन तथ्यों का क्रम दिया गया है, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया। आगे प्रस्तुत किया गया कि आरोपों के अनुसार याचिकाकर्ता नगर परिषद पाली में आयुक्त के पद पर कार्यरत था। इसलिए वह मृतक को उसके बकाया भुगतान न

करके परेशान कर रहा था। चूंकि मामला सरकारी कामकाज से जुड़ा है, इसलिए मामले की जांच के लिए उन परिस्थितियों का जटिल विवरण निकालना होगा, जो मृतक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाली तथ्यात्मक परिस्थितियों का हिस्सा थीं। इसलिए याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता होगी।

8. यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और अब तक एकत्रित सामग्री के आधार पर, जांच अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि याचिकाकर्ता अन्य कथित अपराधों के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी है। विद्वान सरकारी वकील ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ के अभाव में, इस मामले में जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक नहीं ले जाया जा सकता है और अपराधों की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए, याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। अंत में, यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

9. इस न्यायालय ने रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और साथ ही पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

10. अग्रिम जमानत देने में मापदंडों का निर्धारण करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (2016) 1 एससीसी 152 में रिपोर्ट किए गए भद्रेश बिपिनभाई शेठ बनाम गुजरात राज्य में कहा कि संपूर्ण कानून का विश्लेषण करने के बाद निम्नानुसार पाया गया है:-

(क) आरोप की प्रकृति और गंभीरता तथा अभियुक्त की सटीक भूमिका को गिरफ्तारी से पहले ठीक से समझा जाना चाहिए;

(ख) आवेदक का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य शामिल है कि क्या अभियुक्त पहले किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास काट चुका है;

(ग) आवेदक के न्याय से भागने की संभावना;

(घ) अभियुक्त द्वारा समान या अन्य अपराध दोहराने की संभावना;

(ङ) जहां आरोप केवल आवेदक को गिरफ्तार करके उसे चोट पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से लगाए गए हों;

(च) अग्रिम जमानत दिए जाने का प्रभाव, विशेष रूप से ऐसे बड़े पैमाने के मामलों में जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करते हों;

(छ) न्यायालयों को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध समस्त सामग्री का बहुत सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए। न्यायालय को मामले में अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। जिन मामलों में अभियुक्त को दंड संहिता, 1860 की धारा 34 और 149 की सहायता से फंसाया जाता है, उन पर न्यायालय को और भी अधिक सावधानी और सतर्कता से विचार करना चाहिए, क्योंकि मामलों में अतिशयता सामान्य ज्ञान और चिंता का विषय है;

(ज) अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना पर विचार करते समय, दो कारकों के बीच संतुलन बनाना होगा, अर्थात्, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्ण जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जाना चाहिए, और अभियुक्त के उत्पीड़न, अपमान और अनुचित हिरासत की रोकथाम होनी चाहिए;

(झ) न्यायालय को गवाह के साथ छेड़छाड़ या शिकायतकर्ता को धमकी की आशंका की उचित संभावना पर विचार करना चाहिए;

(य) अभियोजन में तुच्छता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और जमानत देने के मामले में केवल वास्तविकता के तत्व पर विचार किया जाना चाहिए और अभियोजन की वास्तविकता के बारे में कुछ संदेह होने की स्थिति में, सामान्य घटनाक्रम में, अभियुक्त जमानत के आदेश का हकदार है।

11. उपर्युक्त उक्ति को वर्तमान मामले में लागू करते हुए तथा दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 14.02.2023 के अनुसार ठेकेदारों को बकाया राशि का भुगतान समय पर करने का दायित्व अध्यक्ष का पाया है। ज्ञातव्य है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के अन्तर्गत अनुमोदन भी अध्यक्ष तथा उनके पति के विरुद्ध ही जारी किया गया है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 36434 दिनांक 09.11.2017 के अनुसार नगर परिषद का सम्पूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण एवं अधिकार अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात ही किया जा सकता है।

12. इस न्यायालय का प्रथम दृष्टया यह मत है कि किसी भी माल की खरीद अथवा किसी कार्य के निष्पादन के लिए 2 लाख रुपये से अधिक की राशि का अनुबंध करते समय, नगर परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात ही नगर परिषद का सम्पूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण एवं अधिकार किया जा सकता है। 2,00,000/- से अधिक की राशि का भुगतान अध्यक्ष की पूर्व प्रशासनिक एवं

वित्तीय स्वीकृति से ही संभव था, अतः ऐसे किसी भी अनुबंध के लिए 2,00,000/- से अधिक की राशि का भुगतान अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति से ही संभव था। प्रथम दृष्टया, ऐसे भुगतान को मंजूरी देने में आयुक्त की कोई भूमिका नहीं है। स्थानीय निकाय विभाग की आंतरिक जांच रिपोर्ट में भी यह नहीं पाया गया कि मृतक को भुगतान की प्रक्रिया को आयुक्त के स्तर पर कभी रोका या बाधित किया गया था।

13. भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत किसी आरोपी को दोषी ठहराने से पहले, न्यायालय को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी और उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का भी आकलन करना होगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पीड़ित के साथ की गई क्रूरता और उत्पीड़न के कारण उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प तो नहीं बचा था। यह भी ध्यान में रखना होगा कि आत्महत्या के कथित उकसावे के मामलों में आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों का सबूत होना चाहिए। केवल उत्पीड़न के आरोप के आधार पर, घटना के समय आरोपी की ओर से कोई ऐसी कार्रवाई न होने के कारण, जिसके कारण व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत अपराध के तत्वों को प्रथम दृष्टया पूरा नहीं माना जा सकता।

14. शिकायत के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा डाले गए दबाव के कारण मृतक ने आत्महत्या कर ली और शिकायत में याचिकाकर्ता द्वारा उकसाने या भड़काने के संबंध में कुछ भी नहीं पाया गया। वर्तमान मामले में जैसा कि ऊपर बताया गया है, शिकायत और सुसाइड नोट के अनुसार, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता द्वारा कोई उकसाने या भड़काने का मामला नहीं है, जिसके कारण मृतक ने आत्महत्या की।

15. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप तथा मामले के समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों, वर्तमान आवेदक की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस राय पर है कि यह धारा 438 सीआरपीसी के तहत याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला है।

16. तदनुसार, इस अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकार किया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि एफआईआर संख्या 318/2022, पुलिस स्टेशन रोहट, जिला पाली के संबंध में याचिकाकर्ता बृजेश राय पुत्र सीके राय की गिरफ्तारी की स्थिति में, याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाएगा; बशर्ते कि वह संबंधित जांच अधिकारी/एसएचओ की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये की राशि का

व्यक्तिगत बांड और 25000/- रुपये की दो जमानतें निम्नलिखित शर्तों पर प्रस्तुत करे:-

(i) कि याचिकाकर्ता को पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराना होगा, जब भी आवश्यकता होगी;

(ii) कि याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) कि याचिकाकर्ता अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(iv) कि याचिकाकर्ता धारा 438(2) सीआरपीसी के तहत निर्दिष्ट सभी शर्तों का पालन करेगा और जब भी बुलाया जाएगा, जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा।

17. ऊपर की गई टिप्पणियों को केवल इस जमानत आवेदन तक ही सीमित माना जाएगा और मामले के अंतिम परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18. तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(**राजेंद्र प्रकाश सोनी**),**जे**

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।